



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3979]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2018/आश्विन 13, 1940

No. 3979]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5158(अ) - विनाशकारी कीट और कीटनाशक अधिनियम, 1914 (1914 का 2), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

- लघु शीर्षक और प्रारंभ-
 - इसे आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2018 कहा जाएगा।
 - यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. अनुसूची IV का संशोधन- वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में -

- (i) स्पेन' से संबंधित मद (xvii) के बदले कॉलम (4) में, 'उपभोग के लिए ताजा फल' के संबंध में प्रविष्टि (iii) के बदले कॉलम (3) में, पाम फलों (मालूस डोमेस्टिका (सेब), नाशपाती (पायरस एसपीपी.) तथा बीही (साइडोनिया एसपीपी.), से संबंधित क्रम संख्या 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले, कॉलम (6) में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(6)

क) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाइटिस एसपीपी के लिए कीट मुक्त क्षेत्र स्थिति। या
ख) फल मक्खियों के खिलाफ 10 दिनों के लिए 0° सेल्सियस या नीचे; 11 दिनों के लिए 0.55° सेल्सियस या नीचे; 12 दिनों के लिए 1.1° सेल्सियस या नीचे पूर्व शिपमेंट शीत उपचार के साथ-साथ पारगमन प्रशीतन या
ग) एनएपी पर 21° सेल्सियस या ऊपर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर एमबीआर धूमन या उसके समकक्ष। उपचार को मूल/पुनः निर्यात करने वाले देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

ii) 'नीदरलैंड' से संबंधित मद (xix) के बदले कॉलम (4) में 'उपभोग के लिए ताजा फल' के संबंध में प्रविष्टि (iii) के बदले कॉलम (3) में, पाम फलों (मालूस डोमेस्टिका (सेब), नाशपाती (पायरस एसपीपी.) तथा वीही (साइडोनिया एसपीपी.), से संबंधित क्रम संख्या 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले कॉलम (6) में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(6)
क) फल मक्खियों के खिलाफ 13 दिनों के लिए 0° सेल्सियस या नीचे; 14 दिनों के लिए 0.55° सेल्सियस या नीचे; 18 दिनों के लिए 1.1° सेल्सियस या नीचे पूर्व शिपमेंट शीत उपचार के साथ-साथ पारगमन प्रशीतन या ख) एनएपी पर 21° सेल्सियस या ऊपर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर एमबीआर धूमन या उसके समकक्ष। उपचार को मूल/पुनः निर्यात करने वाले देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

(iii) प्रविष्टि (ii) 'प्रसार के लिए बल्ब' के बाद कॉलम (3) में 'रैनुकुलस एसपीपी (रैनुकुलस) से संबंधित क्रम संख्या 271 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले कॉलम (3), (4), (5) और (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात्:

(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) टिशू कल्चर पौधे	(i) इटली	क) प्रमाणित किया जाता है कि टिशू कल्चर वाले पौधों को परीक्षित और सुरक्षित इंपैटीन्स नेक्रोटिक स्पॉट वायरस (टीएसडब्ल्यूवी -1) से मुक्त मदर स्टॉक से प्राप्त किया गया था।	शून्य

(iv) प्रविष्टि (i) 'छाल सहित लकड़ी के लठ्ठे' के बदले कॉलम (3) में सेलेक्स एसपीपी (विलो) से संबंधित क्रम संख्या 279 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले कॉलम (3), (4), (5) और (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात्:

(3)	(4)	(5)	(6)
छाल/क्लेफ्ट के साथ/के बिना लकड़ी के लठ्ठे	यूरोप	से मुक्त: (क). सपेडा कारचेरियम (ग्रेटर पोपलर लोंगहोर्न) (ख). सपेडा पोपुलनिया (पोपलर बोरर) (ग). ज़ुज़ेरा पाइरीना (वुड लैपर्ड मोथ)	48 ग्राम पर मेथिल ब्रोमाइड के साथ धूमन 24 घंटों के लिए प्रति घन मीटर 21° सेल्सियस और उससे ऊपर या इसके बराबर या 56° सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए ताप उपचार या भारत सरकार को प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उपचार को मूल / पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

(v) मद संख्या (xiv) स्पेन के बदले कॉलम (4) में उपभोग के लिए ताजा फल के संबंध में प्रविष्टि (ii) के बदले कॉलम (3) में विटिस विनिफेरा (ग्रेपवाईन) से संबंधित क्रम संख्या 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले कॉलम (6) में मौजूदा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(6)
क) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाइटिस एसपीपी के लिए कीट मुक्त क्षेत्र स्थिति। या
ख) फल मक्खियों के खिलाफ 10 दिनों के लिए 0° सेल्सियस या नीचे; 11 दिनों के लिए 0.55° सेल्सियस या नीचे; 12 दिनों के लिए 1.1° सेल्सियस या नीचे पूर्व शिपमेंट शीत उपचार के साथ-साथ पारगमन प्रशीतन या
ग) एनएपी पर 21° सेल्सियस या ऊपर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर एमबीआर धूमन या उसके समकक्ष। उपचार को मूल/पुनः निर्यात करने वाले देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

(vi) मद संख्या (i) स्पेन के बदले कॉलम (4) में 'उपभोग के लिए ताजा फल से संबंधित प्रविष्टि (iii) के बदले कॉलम (3) में डायस्पोरोस काकी (पर्सिमोन) के संबंध में क्रम संख्या 461 'और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले, कॉलम (6) में मौजूदा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(6)
क) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेराटाइटिस एसपीपी के लिए कीट मुक्त क्षेत्र स्थिति। या
ख) फल मक्खियों के खिलाफ 10 दिनों के लिए 0° सेल्सियस या नीचे; 11 दिनों के लिए 0.55° सेल्सियस या नीचे; 12 दिनों के लिए 1.1° सेल्सियस या नीचे पूर्व शिपमेंट शीत उपचार के साथ-साथ पारगमन प्रशीतन या
ग) एनएपी पर 21° सेल्सियस या ऊपर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर एमबीआर धूमन या उसके समकक्ष। उपचार को मूल/पुनः निर्यात करने वाले देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

3. क्रम संख्या 781 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	पौधे की प्रजातियाँ	पौधों की सामग्री की श्रेणी	उद्गम देश	फाइटोसनेटरी सर्टिफिकेट में अतिरिक्त घोषणाएं शामिल की जानी चाहिए	आयात की विशेष स्थितियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
782	डिमोरफ एंड्रा मोलिस (फावा)	फावा पाउडर	ब्राज़ील	शून्य	से मुक्त: i. वनस्पति संगरोध आदेश, 2003 की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध संगरोध खरपतवार बीज। ii. मृदा संदूषण।

[फा.सं. 8-21/2017-पीपी.II]

डॉ. बी. राजेंद्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पादप संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ), 15 दिसम्बर,

2008 के का.आ. 2888 (अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413(अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192(अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248(अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364(अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344(अ.), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 (अ), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 (अ), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556(अ) और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ) तथा दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, 24 मई, 2018 के का.आ. 2059(अ), 4 जून 2018 के का.आ. 2286(अ) तथा 29 जून 2018 के का.आ. 3194(अ) तथा 10 जुलाई, 2018 के का. आ. सं. 3392 (अ) और 16 अगस्त, 2018 के का. आ. सं. 3998 (अ) के माध्यम से संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

S.O. 5158(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.— (1) **This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Seventh Amendment) Order, 2018.**
(2) **It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.**
2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003—
 - (i) Against serial number 262, relating to Pome fruits(*Malus domestica* (Apple), Pear (*Pyrus* spp.) and Quince (*Cydonia* spp.), in column (3) against the entry (iii) regarding 'Fresh fruits for consumption', in column (4) against item (xvii) relating to 'Spain' and the entries relating thereto, the following entries in columns (6) shall be substituted, namely:

(6)
a) Pest free area status for <i>Ceratitis spp.</i> as per international standards or b) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit flies or c) MBr fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(ii) Against serial number 262, relating to Pome fruits (*Malus domestica* Apple, Pear (*Pyrus spp.*) and Quince (*Cydonia spp.*), in column (3) against the entry (iii) regarding 'Fresh fruits for consumption', in column (4) against item (xix) relating to 'Netherlands' and the entries relating thereto, the following entries in columns (6) shall be substituted, namely:

(6)
a) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against fruit flies or b) MBr fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(iii) Against serial number 271, relating to *Ranunculus spp.*(*Ranunculus*) in column (3) after the entry (ii) 'bulbs for propagation', and the entries relating thereto, the following entries in columns (3), (4), (5) and (6) shall respectively be inserted, namely:

(3)	(4)	(5)	(6)
(iii) Tissue culture plants	(i) Italy	a) Certified that the tissue cultured plants were obtained from mother stock tested and maintained free from <i>Impatiens necrotic spot virus</i> (TSWV-1)	NIL

(iv) Against serial number 279, relating to *Salix spp.*(Willows) in column (3) against the entries (i) 'wooden logs with bark' and the entries relating thereto the following entries in columns (3), (4), (5) and (6) shall respectively be substituted, namely:

(3)	(4)	(5)	(6)
Wooden logs with/without bark/clefts	Europe	Free from: (a) <i>Saperda carcharias</i> (greater poplar longhorn) (b) <i>Saperda populnea</i> (poplar borer) (c) <i>Zeuzera pyrina</i> (wood leopard moth)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(v) Against serial number 319, relating to *Vitis vinifera* (Grapevine) in column (3) against entry (ii) regarding 'Fresh fruits for consumption, in column (4) against item (xiv) 'Spain' and entries relating thereto, the existing entries in column (6) shall be substituted, namely:

(6)
<p>a) Pest free area status for <i>Ceratitis spp.</i> as per international standards or</p> <p>b) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit flies or</p> <p>c) MBr fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.</p>

- (vi) Against serial number 461, relating to *Diospyros kaki* (Persimmon) in column (3) against entry (iii) regarding 'Fresh fruits for consumption, in column (4) against item (i) 'Spain' and entries relating thereto, the existing entries in column (6) shall be substituted, namely:

(6)
<p>a) Pest free area status for <i>Ceratitis spp.</i> as per international standards or</p> <p>b) Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit flies or</p> <p>c) MBr fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.</p>

3. After serial number 781 and the entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:-

S.No	Plant Species	Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
782	<i>Dimorphandra mollis</i> (Fava)	Fava Powder	Brazil	Nil	Free from: i. Quarantine weed seeds as listed under Schedule VIII of PQ Order, 2003. ii. Soil Contaminations.

[F.No.8-21/2017-PP.II]
Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014,S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated

8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017, S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017 S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017and S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018 , S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018 and S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018 and S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018.